

10/03/22

पत्रावली सेवा हुई। वकील उच्चपक्ष वरिष्ठ।
गो पत्र 9R7 CPC का जवाब पेशात अक्सर
दिये जाने पर भी पेशा जर्जि लेने पर जवाब
गो पत्र 9R7 CPC बंद किया जाना है। न्यायालय
में वकील लक्षणातुं को तीन-तीन बार प्रत्येक
प्रत्येक सत्र पर आगे लक्षणातुं जाने पर भी
वरिष्ठ जर्जि आने पर वाद वकील का अक्षर
हासिनी व अक्षर के. में एलडू द्वारा खारिज
किया जाना है। पत्रावली केसल सुमार लेकर
नंबर से बस लेकर वारिष्ठ केसल ले।
निर्णय सुले न्यायालय में सुनाना लेकर मरे
एस्वाकर व न्यायालय सुद से जारी किया
गया। 5/2

